दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

SJU Govt. Registered Social Justice Union

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार, 19 मई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 230

पहली स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल का किया गया परीक्षण सफल

❑ नौसेना की ताकत में होगी बढ़ोतरी

बालासोर (ओडिशा) (आरएनएस)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक और उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने पहली बार स्वदेश निर्मित नैवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह अहम परीक्षण बुधवार सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर ओडिशा के आईटीआर बालासोर में नौसेना के हेलिकॉप्टर सीकिंग 42बी से किया गया। इस परीक्षण को बेहद खास माना जा रहा है। यह टेस्ट बताता है कि उच्च मिसाइल तकनीक में भारत आत्म-निर्भर बन रहा है। साथ ही यह नौसेना की स्वदेशी हथियारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलता पूर्वक हासिल किया। यह नौसेना के लिए स्वदेश निर्मित पहला एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम है जिसे हवा से दागा गया। हेलिकॉप्टर से छोड़े जाने के बाद मिसाइल सभी तय मानकों एवं मानदंडों पर सटीक उतरते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। परीक्षण क्षेत्र में लगाए गए सेंसर्स ने मिसाइल के पथ की निगरानी की और उसकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इस मिसाइल सिस्टम में अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। मिसाइल के सफल परीक्षण को डीआरडीओ एवं नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा।

पहली बार में ही मिसाइल का परीक्षण सफल होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नौसेना एवं इस सिस्टम के निर्माण से जुड़े लोगों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सफलता के बाद भारत मिसाइल सिस्टम की स्वदेशी डिजाइन एवं विकास करने की उच्च क्षमता हासिल कर चुका है। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने प्रोजेक्ट टीम के प्रयासों की सराहना की है और मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ को बधाई दी।

बता दें कि भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सरकार विदेश से लंबित सभी तरह की रक्षा खरीद योजना पर समीक्षा कर चुकी है। पिछले साल सरकार ने फैसला किया था कि जो रक्षा उपकरण बहुत जरूरी होंगे, सिर्फ उन्हीं को खरीदा जाएगा। बाकी सभी लंबित खरीद को या तो कैंसल किया जाएगा या इसमें कटौती की जाएगी। सरकार ने ये नियम भी बनाया था कि किसी भी देश से किसी भी तरह के रक्षा उपकरणों की खरीद नहीं की जाएगी। सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही विदेश से रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे।

बेंगलुरु में बारिश के बाद जीवन अस्त-व्यस्त, दो की मौत

बेंगलुरू (आरएनएस)। मौसम के मिजाज इस बार किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि जीना भी मुहाल हो जाता है तो कभी बारिश कहर बनकर टूटती है। उत्तर भारत में जहां गर्मी से बुरा हाल है तो असम में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। अब कर्नाटक के बेंगलुरु का भी यही हाल है। यहां कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पनप रहे हैं। रिहाइशी इलाकों में पानी भर गया है। सडक़ें जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। आलम यह है कि सडक़ पर घुटनों तक पानी भर चुका है।

बारिश के बाद बेंगलुरु में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बेंगलुरु के डीसीपी वेस्ट संजीव पाटिल ने बताया उल्लाल उप्पनानगर उपकार लेआउट बस स्टैंड के पास कल रात भारी बारिश के बाद बिहार और यूपी के दो मजदूर पाइपलाइन कार्य स्थल में मृत पाए गए। उन्होंने बताया पाइपलाइन मरम्मत के लिए तीन व्यक्ति गए थे। इसमें एक को बचा लिया गया है। इसके अलावा बारिश के कारण यहां बाढ़ जैसे हालात हैं, कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं।

भीषण गर्मी के बीच बेंगलुरु में मंगलवार को मौसम सुहाना रहा। यहां झमाझम बारिश हुई। हालांकि, यह बारिश कुछ ही देर में कहर बरपाने लगी। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और स्थिति बाढ़ जैसी बन गई। सडक़ों पर खड़ी गाडिय़ां पानी में डूब गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की जेल से होगी रिहाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। पेरारिवलन ने अपनी रिहाई में होनी वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। साल 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें रिहा करने की सिफारिश की थी। इसके बाद ये मामला कानूनी पेंच में फंस गया था।

बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि पेरारिवलन को साल 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद साल 2014 में इसे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को जमानत दे दी। लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी याचिका का विरोध किया। साथ ही कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है, जिन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में संशोधन को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 04 जून, 2018 को अधिसूचित किया था।

जैव-ईंधन में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) की विभिन्न बैठकों में जैव-ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 01 अप्रैल, 2023 से देशभर में 20 प्रतिशत तक की एथेनॉल की मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिये पहलकदमी करने के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशों पर भी निर्णय लिया गया, जिसके अलोक में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में संशोधन किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के लिये स्वीकृत मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:

जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये अधिक फीडस्टॉक्स को मंजूरी,

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को ईएसवाई 2030 से पहले 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए पहलकदमी करना,

मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन (सेज)/ निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा देश में जैव-ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन,

1. एनबीसीसी में नये सदस्यों को जोडऩा,

1. विशेष मामलों में जैव-ईंधन के निर्यात की अनुमति देना, और

1. राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिये गये निर्णयों के अनुपालन में नीति में कतिपय वाक्यों को काटना/संशोधित करना।

इस प्रस्ताव ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये आकर्षण और समर्थन बढ़ेगा, जिससे मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा; तदनुसार और अधिक रोजगार पैदा होंगे।

मौजूदा राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 के दौरान अस्तित्व में आई थी। इस प्रस्तावित संशोधन से मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा तथा जैव-ईंधन के अधिक से अधिक उत्पादन के जरिये पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कटौती संभव होगी। जैव-ईंधन के लिये कई सारे फीडस्टॉक्स को मंजूरी दी जा रही है। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा तथा 2047 तक भारत के ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र होने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को गति मिलेगी।

संघ मुख्यालय की रेकी मामले में कश्मीर से जैश का आतंकी गिरफ्तार

नागपुर (आरएनएस)। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय के डॉ. हेडगेवार स्मृति भवन की रेकी के मामले में कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद (खीट) के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसने पिछले दिनों रेकी कर इस भवन का वीडियो पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर को भेजा था।

नागपुर एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख (26) दबोच लिया गया। उसे जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा शहर से पकड़ा गया। उसे जम्मू-कश्मीर से प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर नागपुर लाया गया। पिछले दो दिनों में उससे व्यापक पूछताछ की गई। शेख ने पूछताछ में बताया कि उसका हैंडलर पाकिस्तान के नवाबपुर में स्थित जैश का आपरेशनल कमांडर उमर है। उमर आतंकियों के लांच पैड पर मौजूद है।

शेख ने एटीएस को बताया कि वह दिल्ली-मुंबई-नागपुर फ्लाइट से 13 जुलाई 2021 को नागपुर आया था। यहां पहुंचने के बाद उसने सीताबर्डी इलाके की एक होटल में चेक इन किया। हैंडलर ने शेख को आश्वासन दिया था कि एक स्थानीय व्यक्ति संपर्क करेगा और नागपुर में ऑपरेशन में उसकी मदद करेगा। अधिकारी ने बताया कि हालांकि शेख को कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला और उसने खुद ही संघ कार्यालय की टोह ली।

नागपुर पहुंचने के बाद 14 जुलाई को शेख ने आटो रिक्शा लिया और रेशमबाग इलाके में पहुंचा। वहां उतरकर उसने गूगल मैप की मदद से वीडियो बनाया और पाकिस्तान स्थित हैंडलर उमर को भेजा था। आतंकियों का लक्ष्य आरएसएस दफ्तर की रेकी करना था।

वीडियो भेजने के बाद शेख ने एक आटो-रिक्शा चालक को बुलाया और उसे एक मस्जिद में ले जाने के लिए कहा। ऑटो चालक ने उसे संतरा मार्केट गेट के पास एक मस्जिद में छोड़ दिया, जहां वह दिन भर रहा और शाम को होटल लौट आया। 15 जुलाई को शेख नागपुर-दिल्ली-श्रीनगर विमान से श्रीनगर लौट गया था।

नागपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन ने पहले शेख के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस साल की शुरूआत में महाराष्ट्र के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने मामले की जांच राज्य एटीएस को सौंपी

माता वैष्णो देवी यात्रा का नया रूट बंद, बैटरी कार सेवा पर भी रोक

कटड़ा (आरएनएस)। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल त्रिकुटा पर्वत के घने जंगलों में आग लग गई है। जंगल में आग लगने के चलते वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की परेशानी देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियातन तौर पर नए ट्रैक पर यात्रा बंद कर दी है। इसके साथ ही बैटरी कार सर्विस पर भी रोक लगा दी है। हालांकि पारंपरिक ट्रैक के जरिए तीर्थयात्रा जारी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। रविवार की देर शाम त्रिकुटा पर्वत के वन क्षेत्र में सांजी छत हेलीपैड के पास आग लग गई थी। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के चलते त्रिकुटा पहाडिय़ों में तेज हवाओं और कम दिखाई देने के चलते यात्रा को रोक दिया गया था। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग के मुताबिक, आग जम्मू के रियासी में त्रिकुटा वन रेंज में लगी है। तीर्थयात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन जंगल को नुकसान पहुंचा है।

बता दें कि माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर निवास करती हैं और यही पर देवी का भवन बना हुआ है। जहां श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में हर रोज पहुंचते है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्रा मार्ग से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर आग लगी है। जंगल में चीड़ और देवदार के पेड़ अधिक हैं। तेज हवा के चलते धुआं यात्रा मार्ग तक पहुंच रहा है।

भारत अपने तकनीकी कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता को जमैका के साथ साझा करने को तैयार:कोविन्द

❑ राष्ट्रपति ने जमैका की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने मंगलवार को किंग्सटन में जमैका की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, जमैका के जीवन्त लोकतंत्र के नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति में सदन को सम्बोधित करना उनके लिये सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारतीय समुदाय और सांस्कृतिक बंधन हमारे दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं, बल्कि लोकतंत्र और मुक्ति में विश्वास भी हमें एक-दूसरे से बांधता है। जमैका के संविधान का मुख्य स्तंभ यही है कि सारे नागरिक समान हैं। हमारे संस्थापक पूर्वजों ने भी इसी विश्वास को साझा किया और भारत के हर नागरिक के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कामना की। उन लोगों ने आजादी, लोकतंत्र और उसकी आत्मा के रूप में समानता के आधार पर आधुनिक राष्ट्र की रचना की। और, ऐसा करते हुये, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम 'अनेकता में एकता' के मूलमंत्र को हमेशा याद रखें, जो जमैका की मूलभावना 'आउट ऑफ मैनी, वन पीपुल' के समकक्ष है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थिति, युवा आबादी और जीवन्त नेतृत्व के आधार पर जमैका महान आर्थिक सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। कैरीकॉम क्षेत्र में उसका नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित आचरण और बड़ी जिम्मेदारियां वहन करने की उत्कंठा के कारण ही अन्य देश जमैका के साथ साझीदारी करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के पड़ोस में जमैका की रणनीतिक स्थिति और अंग्रेजी जानने वाले उसके प्रतिभाशाली युवाओं के बल पर जमैका के लिये यह शानदार अवसर है कि वह 'ज्ञान का राजमार्ग' बने तथा चौथी औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाये। भारत, जमैका के विजन 2030 को साझा करता है, जिसके तहत जमैका ने अपने लोगों के सशक्तिकरण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जहां सुरक्षित, एकीकृत और न्यायपूर्ण समाज होगा। इस तरह वह एक समृद्ध और स्थायी अर्थव्यवस्था बन जायेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, जमैका के साथ साझीदारी करने और अपने तकनीकी कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिये तैयार है, जिससे जमैका की शिक्षा और व्यापार परिदृश्य में बदलाव आ जायेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि जमैका के सर्वोच्च व्यापारिक घरानों ने भारत स्थित प्रौद्योगिकी कंपनियों से सॉफ्टवेयर और बैकरूम तकनीकी समर्थन के लिये साझेदारी कर ली है। भारत और जमैका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे और कृषि सेक्टरों में भी साझीदारी की अपार संभावनायें हैं, जो भारत की प्रमुख ताकतें हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि जमैका की आबादी तीस लाख से कम है। ऐसे कम आबादी वाला देश का ओलम्पिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिपों और अन्य प्रमुख खेल स्पर्धाओं में ऐसा दबदबा देखकर हैरत होती है। भारत खेलों और एथलेटिक्स में जमैका से सीखना चाहता है। उन्होंने कहा कि संगीत और मनोरंजन तथा एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान करने से दोनों देशों का मनोरंजन उद्योग समृद्ध होगा। इसके अलावा, सत्कार और पर्यटन के क्षेत्र में भी सहयोग की बहुत संभावनायें हैं और हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे साथ आने से और एक-दूसरे का सहयोग करने से दोनों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने साझा आदर्शों को व्यावहारिक सहयोग में बदलने के लिये साथ काम करना चाहिये और अधिक समतावादी विश्व व्यवस्था कायम करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि भारत-जमैका साझेदारी से हमारे लोगों का भविष्य तो उज्ज्वल होगा, बल्कि इसके जरिये अधिक एकीकृत, मानवीय भावना से ओतप्रोत, समृद्धशाली विश्व बनाने में भी मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

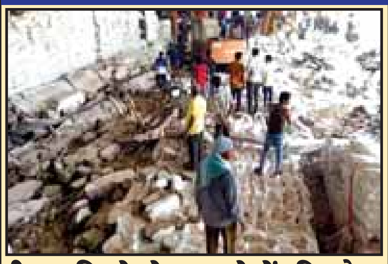

दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग मलबे में दबे

मोरबी (आरएनएस)। गुजरात के मोरबी के हलवद जीआईडीसी में नमक के कारखाने की दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसके अलावा 15 से ज्यादा लोग मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जब यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस समय कारखाने में 15 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। मोरबी की नमक फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद घटनास्थल के कई वीडियो भी सामने आई हैं। इनमें देखा जा सकता है कि दीवार गिरने से वहां लगीं नमक की बोरियां गिर गईं। इसमें कई लोग दब गए। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ गए है। वह फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ दीवार के मलबे और बोरियों को हटाकर नीचे दबे लोगों को निकाल रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आशंका जताई जा रही है कि अभी और लोग भी मलबे और बोरियों के नीचे दबे हैं। मौके पर राहत कार्य जारी है।

रोहिणी कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर लगी आग

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी कोर्ट में बुधवार को आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उन्हें रोहिणी कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर सुबह 11.10 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद चार दमकल गाडिय़ों को तुरंत सेवा में लगाया गया। खबर लिखे जाने तक दमकल की गाडिय़ां मौके पर नहीं पहुंच पाई थीं। अधिकारी किसी के घायल होने या हताहत होने के बारे में विवरण देने में असमर्थ थे। यह घटना दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत के पांच दिन बाद हुई है।

शिमला से देश भर के 773 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से देश भर के 773 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इनमें देश के 773 जिलों के साथ-साथ प्रदेश के 12 जिलों के 40 लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस दौरान 11 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम बात करेंगे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को होने वाले दौरे की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित करना प्रस्तावित है। राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।

इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नईदिल्ली (आरएनएस)। शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को बड़ा फैसला आया। इस मामले में कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। उन्हें 6.5 साल से जेल में बंद होने के चलते ये जमानत दी है। जस्टिस एल नागेश्व राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 बेटी शीना की हत्या के आरोप में मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा, इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल से हिरासत में हैं। हम मामले के मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभियोजन पक्ष की तरफ से 50 फीसदी गवाहों को छोड़ दिया गया हो, लेकिन यह मुकदमा जल्दी खत्म नहीं होगा। उन्हें जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीटर मुखर्जी पर लागू शर्तें इंद्राणी पर भी लागू होंगी।